

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

पूआईडी संख्या : UPFS/2024/106512/LCK/LUCKNOW/5180/CFO

दिनांक : 25-01-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **ISABELLA THOBURN COLLEGE SOCIETY** पता **7,,FAIZABAD ROAD,LUCKNOW** तहसील - **LUCKNOW** प्लॉट एरिया **121376.00 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **3090.56** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **2** जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
LIBRARY BUILDING	2	1	08.00 mt.
STUDENT CENTER	2	0	08.00 mt.

हे। भवन का अधिभोग मेसर्स **ISABELLA THOBURN COLLEGE SOCIETY** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक **27-01-2024** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **Dr.Umesh Prasad** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **28-01-2024** से **27-01-2027** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **ISABELLA THOBURN COLLEGE SOCIETY** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **ISABELLA THOBURN COLLEGE SOCIETY** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके अस्तित्व पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"

Note : अग्निशमन अधिकारी की संस्तुति आख्या के आधार पर अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है तथा इलेक्ट्रिक ऑडिट सर्टिफिकेट प्राप्त करना अनिवार्य होगा



हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

MANGESH KUMAR

CB87BFF6B1829A27BD0DE9314F241D04CAB5CD81

28-01-2024

निर्गत किये जाने का दिनांक : **28-01-2024**

स्थान : **LUCKNOW**

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.

कार्यालय
पत्र संख्या: प-1704/एफ0एस0-12
सेवा में,

मुख्य

अग्निशमन

अधिकारी,

लखनऊ।

दिनांक: फरवरी 10, 2018

प्रबन्धक
इजा बेला प्राचन कालेज
(आइटी कालेज) लखनऊ।

विषय:- आइटी0 कालेज परिसर में निर्मित प्रोफेशनल स्टडीज भवन को अग्निसुरक्षा व्यवस्था का अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया आप अपने पत्र दिनांक- 3-2-2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो से उपरोक्त विषयक है।

कृपया उक्त स्थल भवन का एन0बी0सी0-2005 एवं भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 के अनुसार अग्नि

सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिकोण से निरीक्षण/परीक्षण कराया गया निम्न तथ्य प्रकाश में आये।

भवन की संरचना :-

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1- निर्मित भू-तल एरिया- | 1312.43 वर्ग मीटर |
| 4- प्रथम का फर्बर्ड एरिया- | 1312.43 वर्ग मीटर |
| 5- भवन की ऊँचाई लगभग- | 7.5 मीटर है। |

ढाँचागत व्यवस्था:-

- 1- पहुँच मार्ग :- 12 मीटर चौड़े रोड पर उपलब्ध है।
- 2- प्रवेश /निकास- भवन में प्रवेश निकास द्वार उपलब्ध है।

अग्नि सुरक्षा व्यवस्था:-

1- प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):-आईएस 2190- 2010 के अनुसार फायर एक्सटिंग्यूशर कार्यशील दशा में अधिष्ठापित है।


2-होजरील-प्रश्नगत भवन में होजरील अधिष्ठापित है,जिसका संयोजन ओवर हेड टैंक से किया गया है,प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि भवन के टेरिस पर 10000 हजार ली0 क्षमता टेरिस टैंक एवं 450 एलपीएम का पम्प अधिष्ठापन कराना आवश्यक होगा।

3-प्रश्नगत भवन में एक्जिट साइनेज का प्राविधान किया जाय।

4-कालेज प्रबन्धन द्वारा स्कूल में फायर समिति का गठन किया जाय।

अतः उपरोक्तानुसार आइटी0 कालेज परिसर में निर्मित प्रोफेशनल स्टडीज भवन को अग्निशमन व्यवस्था का अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न शर्तों के अधीन निर्गत किया जाता है:-

- 1- भवन स्वामी/ प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि भवन में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने हेतु मेन्टेनेन्स शेड्यूल बनाया जाये तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा में रखा जाये।
- 2- भवन में स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु नियमित प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त किया जाये।
- 3- किसी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
- 4- प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि वांछनीय अग्निशमन व्यवस्था का अधि-ठापन तत्काल कराया जाय।
- 4- प्रत्येक छः माह में एक बार भवन में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाये।
- 5- वर्ष में एक बार अग्निशमन विभाग से भवन में जीव रक्षा, फायर प्रिवेन्शन तथा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
- 6- भवन के जिन कमरों में एक ही दरवाजा लगा है। इन कमरों में 45 से अधिक छात्र/छात्राओं को नहीं बैठाया जायेगा।
- 7- भोजन एवं मिड डे मील आदि भूतल पर व निकास मार्गों से दूर टीन सेड अथवा पक्के निर्माण में ही किया जायेगा।
- 8- विद्यालय भवन में विस्फोटक पदार्थों का भण्डारण नहीं किया जायेगा।
- 9- भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में अथवा लापरवाही के कारण फायरफाइटिंग सिस्टम अकार्यशील दशा में पाये जाने पर पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा तथा निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।


(ए0बी0 पाण्डेय)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी,

मुख्य अग्निशमन अधिकारी

लखनऊ

प्रतिलिपि:- अग्निशमन अधिकारी, हजरतगंज को आवश्यक कार्यवाही हेतु।



